रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2008/अग्रहायण 19, 1930

No. 644] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2008/AGRAHAYANA 19, 1930

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 847(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के अध्याय 2 में निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) नियम 2.01 के उप-नियम (ग) के स्थान पर रखें—

"(ग) किसी रेल सेवक को इन नियमों की या उक्त नियमों या उसके कर्त्तव्यों से यथा संबंधित उसके ऐसे भागों के अनुवाद की एक प्रति देगा जो विशेष अनुदेशों द्वारा विहित किए जाएं ।";

(ii) नियम 2.02 के स्थान पर रखें—

"नियमों की प्रति की देखभाल—प्रत्येक रेल सेवक, जिसे नियम 2.01 के अधीन यथा विहित इन नियमों की प्रति दी गई है";

(iii) नियम 2.02 के विद्यमान उप-नियम (क) का लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 2.02 के विद्यमान उप-नियम (ख), उप-नियम (ग), उप-नियम (घ) और उप-नियम (ङ) को क्रमशः उप-नियम (क), उपनियम (ख), उप-नियम (ग) और उप-नियम (घ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[फा. सं. 2008/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/9]

श्री प्रकाश, सदस्य यातायात और पदेन सचिव

टिप्पण : मूल नियम, 1976 में संख्यांक सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख, 16 अप्रैल, 1983,
(2) सा.का.नि. 352, तारीख, 30 अप्रैल, 1983,
(3) सा.का.नि. 514 (अ), तारीख, 27 जून, 1983,
(4) सा.का.नि. 476 (अ), तारीख, 28 जून, 1984,
(5) सा.का.नि. 245, तारीख, 23 मई, 1992,
(6) सा.का.नि. 83, तारीख, 17 फरवरी, 1996,
(7) सा.का.नि. 101, तारीख, 23 मई, 1998,
(8) सा.का.नि. 47, तारीख, 13 फरवरी, 1999,
(9) सा.का.नि. 213 (अ), तारीख, 18 मार्च, 1999,
(10) सा.का.नि. 283 (अ), तारीख, 26 अप्रैल, 1999,
(11) सा.का.नि. 581 (अ), तारीख, 3 जुलाई, 2000,
(12) सा.का.नि. 708 (अ), तारीख, 6 सितम्बर, 2000,
(13) सा.का.नि. 852 (अ), तारीख, 8 नवम्बर, 2000,
(14) सा.का.नि. 893 (अ), तारीख, 24 नवम्बर, 2000,

(15) सा.का.नि. 913 (अ), तारीख, 12 दिसम्बर, 2000,
(16) सा.का.नि. 394 (अ), तारीख, 31 मई, 2002,
(17) सा.का.नि. 842 (अ), तारीख, 27 दिसम्बर, 2002,
(18) सा.का.नि. 221 (अ), तारीख, 19 अप्रैल, 2006,
(19) सा.का.नि. 476 (अ), तारीख, 11 अगस्त, 2006,
(20) सा.का.नि. 477 (अ), तारीख, 11 अगस्त, 2006,
(21) सा.का.नि. 311 (अ), तारीख, 26 अप्रैल, 2007,
(22) सा.का.नि. 694 (अ), तारीख, 7 नवम्बर, 2007 और
(23) सा.का.नि. 116 (अ), तारीख, 29 फरवरी, 2008 ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2008

G.S.R. 847(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter II, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(i) for sub-rule (c) of rule 2.01—

"(c) to any railway servant a copy of these rules or translation of the said rules or of such portions, thereof as relate to his duties, as may be prescribed by Special Instructions.";

(ii) for rule 2.02—

"Upkeep of the copy of rules.—Each railway servant, who has been supplied with a copy of these rules, as prescribed under rule 2.01 shall";

(iii) the existing sub-rule (a) of rule 2.02 shall be deleted;

(iv) the existing sub-rule (b), (c), (d) and (e) of rule 2.02 shall be re-numbered as (a), (b), (c) and (d) respectively.

[No. 2008/Safety (A&R)/19/9]

SHRI PRAKASH, Member Traffic & ex-officio, Secy.

Note :— The principal rules of 1976 were published *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* number :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
(3) G.S.R. 514 (E), dated the 27th June, 1983,
(4) G.S.R. 476 (E), dated the 28th June, 1984,
(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,
(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,
(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,
(18) G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006,
(19) G.S.R. 476(E), dated the 11th August, 2006,
(20) G.S.R. 477(E), dated the 11th August, 2006,
(21) G.S.R. 311(E), dated the 26th April, 2007,
(22) G.S.R. 694(E), dated the 7th November, 2007, and
(23) G.S.R. 116(E), dated the 29th February, 2008.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.